

आयलय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी

अनूप सिंह (आरटीएस)

दिनांक-17.12.19

मि.न.128/2019

सरकार बनाम सेडू

निर्णय


पत्रावली पेश हुई । गैर सायलान अनुपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का चर्तुभुज ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2076 में वाके ग्राम चर्तुभुज तहसील कोटपूतली के ख0 न0 660/20.0 है0 किस्म गै0मु0बंजड भूमि मेंसे 0.45 है0 पर सेडू पुत्र उमराव जाति अहीर ने जोत लगाकर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिपोर्ट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायलान को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायलान उपस्थित नहीं आया तथा ना ही जबाब पेश किया अतः गैर सायल के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का रिपोर्ट पर गौर किया तो विवेचन में पाया कि पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भू- अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच के उपरान्त पेश की गई है ।

अतः गैरसाल सेडू पुत्र उमराव जाति अहीर द्वारा वाके ग्राम चर्तुभुज के खसरा नंबर 660 है0 किस्म जमीन सिवायचक बजंड भूमि मेंसे 0.45 है0 भूमि पर अतिक्रमण अवैध अतिक्रमण सिद्ध होता है अतः अतिक्रमी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढ़ावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी

अतः सेडू पुत्र उमराव जाति अहीर तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम चर्तुभुज तहसील कोटपूतली के ख0 न0 660/20.0 है0, किस्म सिवायचक बंजड मे से 0.45 है0 भूमि पर अतिक्रमी धोषित किया जाता है तथा गैर सायल को उक्त आराजीयात पर की गई जोत को हटाया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं । नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी 2 रू. का पचास गुणा 100 रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू- अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते निलामी


तहसीलदार
कोटपूतली जयपुर

बेदखली आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को करवाई जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफतर होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 17.12.19 को सरे इजलास सुनाया गया।

✓
तहसीलदार
कोटपूतली जिल्ला

अर्षे 200 0 क. १० १० १
के पृष्ठ संख्या पर
हपथे काम किये गये।

राजस्व लेखाकाष्ठ
कोटपूतली